



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052026-272910
CG-DL-E-27052026-272910

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2585]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2026/ज्येष्ठ 6, 1948

No. 2585]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2026/JYAISTHA 6, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2026

का.आ. 2678(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट 1415.4 किमी से 1468.3 किमी के NH27 तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH27 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH27	उत्तर प्रदेश	झाँसी	मोठ	1 सेसा 2 घटेश्वर

		के कि.मी 1415.4 से कि.मी 1468.3 तक				3	मडोरा खुर्द
						4	बम्हरोली
						5	भुजोंद
						6	जरहा खुर्द
						7	करगवां
						8	बरल
						9	मिरौना
						10	पहाड़ी बुजुर्ग
						11	खिल्ली

[फा. सं. NHAI/PIU-JHS/Jhansi-Orai/2026/LA-3a]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th May, 2026

S.O. 2678(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 1415.4 to Km. 1468.3 of the NH27 for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of UTTAR PRADESH

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH27 in the State of UTTAR PRADESH.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Additional Collector(F/R)	NH27 KM 1415.4 TO KM 1468.3	UTTAR PRADESH	JHANSI	Moth	1 Sesa 2 Ghateshwar 3 Madora Khurd 4 Bamhroli 5 Bhujond 6 Jarha Khurd 7 Karguwan 8 Baral 9 Mirona 10 Pahari Buzurg 11 Khilli

[F. No. NHAI/PIU-JHS/Jhansi-Orai/2026/LA-3a]

SHAIKH AMINKHAN, Director